

पत्रांक १९० /10एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 17 /05/2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगतसिंह मार्ग (तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के कि.मी. 3.00 से चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2912/एफ.यू./यू.के./रोड़/18867 /2016 देहरादून दिनांक 24.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/62/2016/एफ.सी./1463 दिनांक16-12-2016 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.59 है० मोख तल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सम्मिलित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-सुनाली की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। संलग्न-1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 -एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत हये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन.पी.वी. की धनराशि CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न-2
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि जमा कर दी गई है। संलग्न-1
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 -एफ.सी. दिनांक 05-02-2019 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम से जो चालान Generate होता है। उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।	विभाग द्वारा एन.पी.वी. एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न-1
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर व विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा। संलग्न-1

6	State Govt. will provide original copy of revised village level committee proceeding under FRA and digital map of the forest land proposed for diversion and the land identify for CA which have been uploaded in digital web portal	प्रस्तावित मार्ग का FRA एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं डिजिटल मानचित्र की प्रति संलग्न कर दिया गया है। संलग्न:-
---	--	---

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

17.5.24
(इ. नवीन लाल वर्मा)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

दिनांक 17/05/2024

पत्रांक 980 /10एल.ए.

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17.5.24
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग